न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :- मांगीलाल (आर.ए.एस)
राजस्व प्रकरण :- 76/2022
राजस्व प्रार्थना पत्र :- अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

1. जगदीशचन्द्र भूतड़ा पुत्र लालधर भूतड़ा जाति भूतड़ा माहेश्वरी निवासी बाप
2. धूड़चन्द पुत्र भोजराज जाति कोठारी निवासी बाप तह. बाप जिला जोधपुर
3. मोहनलाल पुत्र बद्रीनारायण जाति माहेश्वरी नि. बाप तह. बाप जिला जोधपुर
4. प्रतापसिंह पुत्र उदयसिंह जाति राजपूत निवासी का.सिड तह. बाप जिला जोधपुर

प्रार्थीगण......

बनाम

1. आनन्दी देवी पत्नि आसूराम जाति बावरी निवासी रावरा तह. बाप जिला जोधपुर
2. श्रवणीदेवी पत्नि पुखराज जाति बावरी निवासी रावरा तह. बाप जिला जोधपुर
3. तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला जोधपुर (राज.)

अप्रार्थीगण....

उपस्थित :-
1. श्री विजय तंवर अधिवक्ता प्रार्थीगण

निर्णय

दिनांकः- 28.12.2022

प्रार्थीगण ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम का इस आशय से पेश किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की काश्त भूमि खसरा नम्बर 612/3 रकबा 2.7357 हैक्टेयर गै.मु. उद्योग सरहद मौजा बाप पटवार क्षेत्र बाप तहसील बाप जिला जोधपुर में स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी अनुसार अपने हिस्से पर कब्जा आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है। प्रार्थीगण ने अपनी उक्त खातेदारी की भूमि [illegible] तहसीलदार बाप के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया और तहसीलदार बाप ने क्रमांक 260 दिनांक 03.03.2022 को उक्त भूमि की पैमाईश करने के आदेश [illegible] हल्का उक्त आदेश की पालना में दिनांक 11.03.2022 को मौके पर जाकर प्रार्थी[illegible] की उपस्थिति में उक्त खसरा की पैमाईश मुश्तकिल बिन्दु से की तथा मौका फर्द प्रार्थीगण की मौजूदगी

उप खण्ड अधिकारी-बाप

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.06 14:57:16 IST
Reason: SelfAttested

में तैयार कर व सुनाकर सभी मौजूद मौतबिरान के हस्ताक्षर करवा कर उक्त फर्द नियमानुसार सभी मौजूद मौतबिरान के हस्ताक्षर करवा कर उक्त फर्द नियमानुसार अप्रार्थी संख्या 3 के कार्यालय में जमा करवा दी। प्रार्थीगण जब पैमाईश अनुसार अपनी भूमि के चारों ओर खूटे रोपने लगे तो प्रार्थीगण के पड़ौसी खेत खसरा नम्बर 612/12 रकबा 0.3237 हैक्टेयर ग्राम बाप पवार क्षेत्र बाप के खातेदार अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 ने पैमाईश अनुसार खुंटे रोपने से मना कर व्यवधान पैदा कर दिया और पैमाईश को मानने से इन्कार कर दिया तथा धमकी दी की हम पैमाईश अनुसार खूटे रोपने नहीं देंगे। प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी की उक्त भूमि में उद्योग सम्बंधी कार्य करेंगे तो उक्त भूमि के चारों ओर तारबंदी नहीं होने की वजह से प्रार्थीगण द्वारा किये गये कार्य को नुकसान कारित किया जायेगा। जिससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। इसलिये प्रार्थीगण दिनांक 11.03.2022 को हुई भूमि पैमाईश अनुसार अपनी हद में पत्थरगढी करवाना चाहते है। जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं. 1 ता 2 बावजूद तामिल नोटिस हाजिर नही हुए उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं. 3 सरकारी पैराकार ने स्वयं उपस्थित होकर जवाब पेश किया कि बाप क्षेत्र बाप तहसील बाप जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 612/3 रकबा 2.7357 हैक्टेयर गै.मु. उद्योग भूमि की पत्थरगढी प्रार्थीगण की हद में पैमाईश फर्द दिनांक 11.03.2022 के अनुसार प्रार्थीगण और अप्रार्थीगण को सूचित करते हुए किया जाना उचित है। पत्रावली बहस में रखी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि ग्राम बाप पटवार क्षेत्र बाप तहसील बाप जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 612/3 रकबा 2.7357 हैक्टेयर गै.मु. उद्योग स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का अपने-अपने हिस्से पर कब्जा आज दिन तक लगातार ... चला आ रहा है। उक्त भूमि के चारों ओर तारबंदी नहीं होने की वजह से प्रार्थीगण ... किये गये कार्य को नुकसान कारित होगा। जिससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होती है। इसलिये प्रार्थीगण दिनांक 11.03.2022 को हुई भूमि पैमाईश अनुसार अपनी हद में पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi
Date: 2024.02.06 14:57:1
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी-बाप

अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजीय साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी संवत 2078-2081, नक्सा ट्रेस एवं मौका फर्द का अवलोकन किया गया। ग्राम बाप पटवार क्षेत्र बाप तहसील बाप जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 612/3 रकबा 2.7357 हैक्टेयर गै.मु. उद्योग भूमि के प्रार्थीगण खातेदार है, प्रार्थीगण ने दिनांक 11.03.2022 को उक्त भूमि की नियमानुसार पैमाईश करवाई थी जो मौका फर्द से प्रमाणित होता है। रेकर्डेड खातेदार को अपनी भूमि की पत्थर गड्ढी करवाने का पूरा-पूरा अधिकार है, सरकारी पैरोकार ने भी उक्त भूमि की पत्थर गड्ढी किया जाना उचित बताया है। इसलिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की अपनी हद में पत्थर गड्ढी करवाने के अधिकारी है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है कि ग्राम बाप पटवार क्षेत्र बाप तहसील बाप जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 612/3 रकबा 2.7357 हैक्टेयर गै.मु. उद्योग भूमि की पत्थर गड्ढी मौका फर्द दिनांक 11.03.2022 अनुसार पड़ोसी खातेदारों को सूचित करते हुये किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार शुल्क अदा किये जाने पर तहसीलदार बाप उक्त आदेश की पालना में विधिवत पत्थर गडढी करवावे। अगर आवश्यकता हो तो शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस इमदाद प्राप्त की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.12.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(Seal: उप जिला मजिस्ट्रेट एवं उप खण्ड अधिकारी बाप, जिला जोधपुर (राज.))

(मांगीलाल आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
(जोधपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.06 14:57:16 IST
Reason: SelfAttested